न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 55/2018 अपील

1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री लैला अहीर निवासी– लक्ष्मीपुरा तहसील सहाडा
2. श्री नानूराम पुत्र लैला अहीर निवासी– निवासी– लक्ष्मीपुरा तहसील सहाडा
3. श्री नारायण पुत्र लैला अहीर निवासी– लक्ष्मीपुरा तहसील सहाडा
4. श्रीमति मोहनी देवी पुत्री लैला अहीर पत्नि पृथ्वीराज अहीर निवासी– लक्ष्मीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री धन्ना पुत्र कालु जी ढोली निवासी सुरावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. मु0 रतनी पुत्री मांगु ढोली निवासी सुरावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा जिला भीलवाडा।

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार सहाडा बमामले प्रकरण सं0 02/2013 निर्णय दिनांक 04.10.2017

उपस्थित –
1. श्री विवेकानन्द शर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 1-1-2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार सहाडा को बमामलें प्रकरण सं. 02/2013 निर्णय दिनांक 04.10.2017 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 ने तहसीलदार सहाडा के समक्ष दिनांक 26.08.2013 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में रेस्पोडेन्ट सं0 01 व रेस्पोडेण्ट सं0 02 के पिता मांगू ढोली के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी सं 260 रकबा 2 बीघा 08 बीस्वा के नवीन आराजी सं0 528 रकबा 0.52 हैक्ट. कायम हुए। रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 अनुसूचित जाति के व्यक्ति होकर उक्त आराजी में उनका मे हिस्सा पुश्तेनी होकर उस पर काफी समय से कब्जा चला आ रहा है। अपीलाण्ट अनाधिकृत रूप से उक्त भूमि को हडपना चाहते है। इस उद्देश्य से अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 के विरूद्व झुठे वाद न्यायालय में पेश किये जो खारिज हो चुके है। अपीलाण्ट जबरन ताकत के बल पर रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02

के हिस्से की आराजियात पर काश्त करने लग गये है जो कानूनन विधि विरूद्ध होकर अपीलाण्ट की बेदखली आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों का गलत विवेचन करते हुए कि अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त भूमि से बेदखल करने तथा उक्त भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 को सुपुर्द किये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा– 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानों की समुचित विवेचना नही कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सन्दर्भ में कोई विवेचना नही कर केवल यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त निर्णय पारित किया है, जिसका प्रमाण यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत विक्रय–पत्र जो तादादी 03 तीन रूपये के स्टाम्प पर 99/– रूपये प्रतिफल के एवज में रेस्पोडेण्ट सं0 01 व 02 के पिता द्वारा अपीलाण्ट के पिता लैला के पक्ष में किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मियाद बाहर होते हुए भी अन्दर मियाद स्वीकार का विधि के सीमित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है जिसका प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट जिसमें विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा 40–50 वर्षो से चला आना वर्णित किया है जिसकी ताईद स्वयं रेस्पोडेण्ट सं 01 ने अपनी जिरह में बयान दिया कि "विगत 30 वर्षो में हमने विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में नही की व न ही किसी न्यायालय में कार्यवाही की तथा पुलिस थाने में भी नही गये। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 बी राज काश्तकारी अधि0 के प्रावधानों की अनदेखी व गलत व्याख्या करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है कि जबकि रेस्पोडेण्ट सं 01 व 02 के पिता द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र वर्ष 1970 के समय रेस्पोडेण्ट के पिता अनुसूचित जाति में नही आते थे। इस कारण उनके द्वारा पूर्व में किया गया अन्तरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से बाधित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय जो विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट पर उक्त विवादित भूमि पर जरिये खरीददार एवं वैध कब्जेदार की हैसियत से पिछले 40–50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज हो काश्त करते आ रहे जिसके विरूद्ध बिना वैधानिक एव तनकीवार निर्णय पारित किये बिना बेदखल किया जाना विधि एवं नैसर्गिस न्याय के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना कब्जे के अभाव में एवं बेदखली के लिये नियत मियाद अवधि 12 वर्ष के अवसान के कारण खारिज किया जाना आवश्यक है। इस कारण उक्त आलौच्य निर्णय को खारिज किया जाकर प्रकरण न्यायोचित प्रक्रिया द्वारा निस्तारण करने हेतु पुनः रिमाण्ड किये जाने का आदेश फरमाया जावै। अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश के किसान है जो पढे लिखे नही होने के कारण कानूनी दावपेच नही समझते है तथा केवल भरोसे एवं विश्वास पर निर्भर रहते है। इस कारण अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की जानकारी समय पर नही हुए तथा न ही हमारे अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय की जानकारी ही दी गई जिसका प्रमाण न्यायालय की आदेशिका है जिसमें उक्त निर्णय उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट 01 व 02 द्वारा मौके पर आकर झगडा करने से उक्ता निर्णय की जानकारी हुई तथा अविलम्ब नकल हेतु आवेदनपत्र पेश किया व नकल प्राप्त कर यह अपील पेश है जो जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश है, लेकिन निर्णय की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को क्षम्य फरमाया जाने हेतु धारा–05 कानून

मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग पेश है। निवेदन है कि अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2017 जो तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नही होकर त्रुटिग्रस्त होने से अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान कर प्रकरण को पुनः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित विवेचन करते हुए न्यायिक निर्णय पारित करने के लिये प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के लिये रिमाण्ड करने का आदेश किया जावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.04.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया। तहसीलदार सहाडा से पत्र कमांक/राजस्व/18/329 दिनांक 15.06.2018 से पत्रावली सं. 02/13 निर्णय दिनांक 04.10.2017 प्राप्त हुयी। विपक्षी सं. 01 व 02 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गयी एवं प्रकरण में अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा हैं।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट पर उक्त विवादित भूमि पर जरिये खरीददार एवं वैध कब्जेदार की हैसियत से पिछले 40–50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज हो काश्त करते आ रहे जिसके विरूद्ध बिना वैधानिक एव तनकीवार निर्णय पारित किये बिना बेदखल किया जाना विधि एवं नैसर्गिस न्याय के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना कब्जे के अभाव में एवं बेदखली के लिये नियत मियाद अवधि 12 वर्ष के अवसान के कारण खारिज किया जाना आवश्यक है। इस कारण उक्त आलौच्य निर्णय को खारिज किया जाकर प्रकरण न्यायोचित प्रकिया द्वारा निस्तारण करने हेतु पुनः रिमाण्ड किये जाने का आदेश फरमाया जावै। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा– 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानों की समुचित विवेचना नही कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सन्दर्भ में कोई विवेचना नही कर केवल यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2017 जो तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नही होकर त्रुटिग्रस्त होने से अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान कर प्रकरण को पुनः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित विवेचन करते हुए न्यायिक निर्णय पारित करने के लिये प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के लिये रिमाण्ड करने का आदेश किया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिस उपरान्त पाया गया कि न्यायालय तहसीलदार सहाडा के प्रकरण सं. 02/2013 निर्णय दिनांक 04.10.2017 में प्रार्थीगण (प्रकरण सं. 55/18 में रेस्पोडेण्ट) धन्ना पिता कालू ढोली व रतनी पुत्री मांगू ढोली निवासी सुरावास के नाम ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सहाडा के खातेदारी आराजी नं. 260 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण (प्रकरण सं. 55/18 में अपीलाण्टगण) मांगीलाल, नानूराम, नारायण पिता लेला अहीर निवासी

लक्ष्मीपुरा का अनाधिकृत कब्जा होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर तहसीलदार सहाडा द्वारा पक्षकारान् की सुनवायी की जाकर एवं बयान कलमबद्ध किये जाकर मौके की जांच की गयी। मौके की जांच में प्रार्थीगण (प्रकरण सं. 55/18 में रेस्पोडेण्ट) जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति होकर इनकी भूमि पर (प्रकरण सं. 55/18 में अपीलाण्टगण) स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा पाये जाने से बेदखली के आदेश जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2017 में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती हैं। तहसीलदार सहाडा के प्रकरण सं. 02/2013 निर्णय दिनांक 04.10.2017 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सहाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक \९–\९–.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा